**सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के अधीन आवेदनपत्र**

न्यायालय..............

सिविल प्रकीर्ण आवेदन पत्र सं. .............सन्..............

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के अधीन

इन

मूलवाद सं............सन.............

**अबक**  ........ वादी

बनाम

**कखग**  ......... प्रतिवादी

श्रीमान,

प्रतिवादी निम्नलिखित रूप में सादर निवेदन करता है।

1. यह कि वादी ने क ख के विरुद्ध परादेय ऋण के अवधारण के लिए 1957 के कृषिक ऋणिता राजस्थान अनुतोष अधिनियम की धारा 6 (2) के अधीन एक आवेदन पत्र दाखिल किया है जो साधारण तौर पर गांव ................... तहसील ............. जिला ........................... में निवास कर रहा है जो मुन्सिफ की अधिकारिता के अन्दर आता है और न कि इस विद्वान न्यायालय की अधिकारिता के अन्दर।
2. यह कि विद्वान न्यायालय के पास मामले का विनिश्चय करने की कोई अधिकारिता नहीं होती है और यह न्यायहित में समीचीन है कि वादपत्र अधिकारिता रखने वाली समुचित न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वादी को वापस कर दिया जाय यदि वह वैसे चुनता है।

**प्रार्थना**

अतएव यह सादर निवेदन किया जाता है कि वाद का विनिश्चय न करने हेतु कोई अधिकारिता न रखने वाली यह न्यायालय वादी को वादपत्र को वापस कर दें।

प्रतिवादी

दिनांकित............ यद्यपि

काउन्सिल